न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 272/2026

(C.N.R. UPET010006292026)

1. नसरूद्दीन उम्र करीब 62 वर्ष पुत्र सरफुद्दीन,
2. फारूख उम्र करीब 42 वर्ष पुत्र नसरूद्दीन,
3. सलमा उम्र करीब 62 वर्ष पत्नी नसरूद्दीन,
4. मरियम उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी फारूख,

निवासीगण मोहल्ला खादमान जलेसर, थाना जलेसर, जिला एटा।

–––––आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–541/2025
धारा–131, 115(2), 333, 352, 351(3) बी0 एन 0 एस 0
थाना–जलेसर, जिला एटा।

06.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **नसरूद्दीन, फारूख, सलमा** एवं **मरियम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**541/2025** अन्तर्गत धारा–**131, 115(2), 333, 352, 351(3) बी0 एन 0 एस 0,** थाना **जलेसर**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 10.12.2025 समय करीब 11 बजे नसरुददीन, फारूक, सलमा व मरियम वादी हसीन के घर में घुस आये, सभी पर लोहे की रॉड एवं सरिया थी। उस समय वादी के घर में औरते शमा, नाजरा व तबस्सुम मौजूद थी, जिन्हें उक्त नसरुददीन आदि गाली गलौज देने लगे। औरतों द्वारा विरोध करने पर सभी लोगों ने लोहे की रौड एवं सरिया तथा भट्टी के कीला से प्रहार किया, जिससे शमा, नाजरा व तबस्सुम के काफी चोटे आई है। औरतों की चीख पुकार पर वादी का आई अकवर, जो मोहल्ला में काम कर रहा था, भाग कर बचाने आया तो उसे भी फारुक ने लोहे की रौड मारी, जिससे वह भी बुरी तरह घायल हो गया है। सबकी चीख पुकार पर मौहल्ले के लोगों को आता देख उक्त नसरुददीन आदि जान से मारने की धमकी देकर भाग गये कि आज तो बच गये, अबकी बार जान से मार देंगे। उक्त लोग शातिर किस्म के है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्हें उपरोक्त मुकदमा में झूठा एवं नाराजगी के कारण फँसाया गया है। उपरोक्त केस में कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। उनका कोई

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.06 15:30:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने वादी के घर में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट की, जिससे वादी के परिवारीजन के चोटें आयीं। आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्तगण की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्तगण की भूमिका,
2. अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्तगण के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्तगण द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,
5. अभियुक्तगण को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्तगण का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्तगण के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्तगण को जमानत दिया जाना चाहिए–

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण पर वादी के घर में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट करने का अभियोग है। सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जिसमें सात वर्ष से अधिक सजा का प्राविधान नहीं है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण का अन्य किसी मामले का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **नसरूद्दीन, फारूख, सलमा** एवं **मरियम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**541/2025** अन्तर्गत धारा–**131,115(2),333,352,351(3) बी0 एन 0 एस 0,** थाना **जलेसर**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त को रूपये बीस–बीस हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि का एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 06.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538